

डिप्टी मुकदमा इकाई

(अधे 20 एव 8-7 कानून विभाग)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करीली  
इकाई

वीरगंज अधिकारी -

मुकदमा नं० - 83 / 2009

समस्त मुक्ति R.A.S.

कानून नं० - 2009/2009

कानून नं० - 2009/2009

कानून नं० - 2009/2009 जाति ब्राह्मण निवासी किरवाडा तहसील  
हिण्डौन जिला करीली उपखण्ड

- जारी

कानून

- 1 रामचरण
- 2 हरीश
- 3 सुनील
- 4 मुकेश
- 5 हरीशोहन
- 6 अजीतसिंह
- 7 जीतमल
- 8 ओमप्रकाश
- 9 गिराज
- 10 मंगर
- 11 सोन पुत्र रामचंद
- 12 रामचरित
- 13 मूलचंद
- 14 गुन्ना
- 15 रमन
- 16 बच्चु
- 17 राकेश
- 18 तुलसीराम
- 19 श्यामलाल
- 20 मु० मूली देवी बेबा बृजलाल
- 21 तहसीलदार तहसील हिण्डौन

पि० कानून

पि० लखी

पि० लखेद

पि० प्रीतम

पि० मंगर

पि० बृजलाल

जाति ब्राह्मण निवासी किरवाडा  
तहसील हिण्डौन जिला  
करीली



-प्रतिवादीगण

दावा बावत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 83 / 2009

अ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु प्रतिवादीगण हाजिरी एकपक्षीय कार्यवाही मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तकारमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 13.11.2024 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

ग्राम खेडी चांदला तहसील श्रीमहावीरजी

क. सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	कल्याण पुत्र सावलिया जाति ब्राह्मण निवासी कजानीपुर	848/1	0.08 है०
2	प्रतिवादीगण	तुलसीराम पुत्र बृजलाल, श्यामलाल पुत्र बृजलाल, मूली बेवा बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी किरवाडा	848/2	0.08 है०
3	प्रतिवादीगण	हवोल पुत्र कमला, मुनीम पुत्र कमला, सुक्की पुत्र कमला जाति जाट निवासी खेडीचांदला	848/3	0.05 है०
4	प्रतिवादीगण	हरिमोहन पुत्र मानसिंह, अजीत पुत्र मानसिंह जाति जाट	848/4	0.03 है०
5	प्रतिवादीगण	विक्रम पुत्र जीतमल 1/6 महेन्द्र पुत्र जीतमल 1/6 विश्वेन्द्र पुत्र जीतमल 1/6 ओमप्रकाश पुत्र हरेती 1/2	848/5	0.03 है०
6	प्रतिवादीगण	बनेसिंह, प्रेमसिंह, राधेश्याम पि० गिराज नाबा० निशांत पुत्र बलवीर माता फूलवती पुत्री गिराज 1/3 भंवर पुत्र उम्मेद 1/3 सोन पुत्र रामचंद 1/3 जाति जाट निवासी ग्राम	848/6	0.04 है०
7	प्रतिवादीगण	समयसिंह, मुलचंद, मुन्ना पि० पीतम जाति जाट निवासी खेडी चांदला	848/7	0.01 है०

तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 19/11/24  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (जिला करौली)